न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 158/2020, जिला दौसा

1. गणपतलाल पुत्र जौहरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी खेडला खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा राज0।

—अपीलान्ट्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर दौसा।
2. नगर परिषद् दौसा जरिये आयुक्त नगर परिषद् दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 09.05.2012 जिसके तहत वाके ग्राम खेडला खुर्द तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 686 रकबा 1.02 है0 भूमि का नगरपालिका दौसा वर्तमान नगर परिषद् दौसा को हस्तान्तरित किया गया है।

उपस्थित—

1. श्री प्रदीप कुमार विजय वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट नं. 1

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक —08.08.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 09.05.2012 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :—

यह कि वाके ग्राम खेडला खुर्द तहसील दौसा में स्थित खसरा नं. 686 रकबा 1.02 है0 भूमि का आयुक्त नगरपालिका मण्डल दौसा के अनुरोध पर तहसीलदार दौसा व उप जिला कलक्टर, दौसा ने उक्त भूमि को नगरपालिका दौसा के पैराफेरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण नगरपालिका दौसा को हस्तान्तरण करने के प्रस्ताव जिला कलक्टर, दौसा को प्रेषित किये जिस पर जिला कलक्टर, दौसा द्वारा राजस्व (ग्रुप—6) विभाग राज0 सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ—6(9) राज—6/96 पार्ट 39 दिनांक 08.12.2010 के आधार पर उक्त भूमि को नगरपालिका दौसा को दिनांक 09.05.2012 को हस्तान्तरण करने के आदेश दिये गये।

जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 09.05.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट गणपतलाल पुत्र जौहरीलाल द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 09.05.2012 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। रेस्पो संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम खेडला खुर्द तहसील दौसा में स्थित खसरा नं. 686 रकबा 1.02 है0 भूमि पर अपीलांट का कब्जा लगभग 30 वर्षों से आजतक चला आ रहा है जिसका प्रमाण खसरा परिवर्तनशीलों से स्पष्ट है। उक्त भूमि पर अपीलांट ने चारदिवारी का निर्माण भी कर रखा है। उक्त भूमि का पूर्व में भी दिनांक

Scanned by CamScanner

11.05.1989 को पटवार भवन व गिरदावर भवन हेतु आवंटन कर दिया गया था जिस पर अति0 जिला कलक्टर, दौसा ने दिनांक 12.11.1990 को आवंटन निरस्त कर दिया। प्रार्थी द्वारा राज0 सरकार के सर्कुलर अनुसार अपने हक में नियमित करने हेतु तहसीलदार व उप जिला कलक्टर दौसा को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखे थे इसके बावजूद भी तहसीलदार दौसा व उप जिला कलक्टर, दौसा बिना मौके व कब्जे की जॉच किये गलत आधारों पर उक्त भूमि को नगरपालिका दौसा को हस्तान्तरण करने की अभिशंसा कर दी। जिस पर जिला कलक्टर दौसा द्वारा भी बिना मौके व कब्जे की जॉच कराये व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2012 पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा दिनांक 09.05.2012 निरस्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट को जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 09.05.2012 की प्रारम्भ से ही जानकारी थी किन्तु अपीलांट ने निर्धारित अवधि में उक्त निर्णय को चुनौती नहीं दी एवं वादग्रस्त आराजी ग्राम खेडला खुर्द तहसील दौसा में स्थित खसरा नं. 686 रकबा 1.02 है0 भूमि के किसी भी भाग पर अपीलांट का कब्जा नहीं है जबकि उक्त भूमि पर नगरपरिषद् दौसा का कब्जा है एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज0 सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ–6(9) राज–6/96 पार्ट 39 दिनांक 08.12.2010 द्वारा नगर योग्य सीमाओं के भीतर आने वाली समस्त सरकारी भूमियों को भू राजस्व के 40 गुणा के समतुल्य भूमि के पूंजीगत मूल्य के संदायी पर हस्तान्तरण किये जाने के प्रावधान किये हुए हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 12.01.2016 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। हम समझते हैं कि नगर योग्य सीमाओं के भीतर आने वाली समस्त सरकारी भूमियॉ स्वतः ही नगरपलिका के अधिकार क्षेत्र में होती हैं जिसके तहत् जिला कलक्टर दौसा ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही उक्त भूमि को नगरपालिका दौसा को हस्तान्तरित किया है जो कि प्रक्रियात्मक है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2012 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 09.05.2012 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पारीक)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner